(वाद संख्या–5780/17)

28.10.2019

परिवादी, रविन्द्र कुँवर, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरा, शिवटहल राय, प्रखण्ड–हथुआ, जिला–गोपालगंज उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय, कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज में भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने के कारण उसे तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम (स्था0)/(योजना एवं लेखा), गोपालगंज तथा प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बापू मध्य विद्यालय, हथुआ द्वारा प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अकारण बिना कारण पृच्छा किये निलंबित करने के संबंध में दिया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से अपने निलंबन व विभागीय कार्रवाई चलाने के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC N0. 16449/2017 व 7351/2018 दाखिल किया गया था जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, (स्था0शाखा), गोपालगंज द्वारा दिनांक–27.07.2017 को उसे निलंबित करने संबंधी आदेश को वापस लेकर उसके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही से उसे मुक्त करते हुए उसके बकाया वेतनादि के भुगतान का निर्देश दिया गया। परिवादी का कथन है कि उसे मार्च, 2018 से अप्रील, 2018 (दो माह) के निलंबन अवधि का जीवन यापन भत्ता छोड़कर सभी बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है।

परिवादी को यह अनुरोध किया जाता है कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्था0शाखा), गोपालगंज को अपने मार्च, 2018 से अप्रील, 2018 (दो माह) तक के बकाया जीवन–यापन भत्ता के भुगतान हेतु अभ्यावदेन दें तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0शाखा), गोपालगंज को यह निर्देश दिया जाय कि उक्त अभ्यावेदन पर, माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त रिट

याचिकाओं में दिये गये निर्देश व जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्था0शाखा), गोपालगंज के ज्ञापांक–688, दिनांक–06.12.2018 के कार्यालय आदेश के आलोक में उक्त दो महीने के बकाया जीवन–यापन भत्ता के भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अब जबकि, परिवादी द्वारा आयोग को दिये गये आवेदन में उल्लिखित तथ्य से संबंधित समान आशय के मामला में परिवादी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में आदेश पारित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई भी आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय साथ ही साथ आज परित आदेश की प्रति सूचनार्थ व यथोचित कार्रवाई हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना), जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, गोपालगंज को भी प्रेषित कर दी जाय।

**(उज्ज्वल कमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**

<u>सहायक निबंधक</u>